

13-11-17 online Entry

# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... 301/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

श की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाही
21/7	<p>रुदल पासवान बनाम मोठ शाहिद अंसारी  सुदापतीए थाना अप्राथमिकी सं० 01/17</p>	14/17
	<p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी  स० अ०नि०/अ०नि० सुदापतीए ने जाँच कर अपना</p>	27/4/17
	<p>प्रतिवेदन थाना प्रभारी सुदापतीए थाना एवं  अ० निरी० लोरापौरवा ने अग्रसारित किया</p>	13/5/17
	<p>है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच तृप्पा-तृप्पा  का झगडा के</p>	23/5/17
	<p>..... लेकर</p>	31/6/17
	<p>तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति  भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा</p>	15/6/17
	<p>सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव  व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती</p>	29/6/17
	<p>है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107  द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ</p>	13/7/17
	<p>कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 16.3.17 को 10.30 बने  पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं</p>	31/8/17
	<p>लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो  समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाया</p>	16/8/17
	<p>लेखापित एवं संश्लेषित</p>	31/8/17
	<p>.....</p>	14/9/17
	<p>.....</p>	31/10/17
	<p>.....</p>	16/10/17
	<p>.....</p>	31/11/17
	<p>.....</p>	20/11/17
	<p>.....</p>	24/11/17

83/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद

20/11/13  
अथवा  
प्रथम पल 3/2 की छत्रती की पंड 11537  
आरिंरु है इसी — किता साता की

द्वितीय पल की छत्रती की  
कालवाला हीने के ठाका पाद की  
कार्यवाही गोथला एवं ठाका ठाका  
समाप्त की जाती है।  
Rem

20/11/13